

संदर्भ: आईआरडीएआई/आईआईडी/सीआईआर/विविध/71/3/2023

Ref: IRDAI/IID/CIR/MISC/71/3/2023

दिनांक / Date 20.03.2023

परिपत्र / CIRCULAR

प्रति / To,
सभी जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता /
All Life, General and Health Insurers

विषय: धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) संशोधन नियम, 2023

Re: Prevention of Money-Laundering (Maintenance of Records) Amendment Rules, 2023

यह राजपत्र अधिसूचना दिनांकित 7 मार्च, 2023 के द्वारा धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 (पीएमएल नियम) के सम्बंध में लागू किए गए संशोधनों और प्राधिकरण द्वारा एएमएल/सीएफटी, 2022 पर जारी मास्टर दिशानिर्देश संदर्भ: आईआरडीएआई/आईआईडी/जीडीएल/विविध/160/8/2022 दिनांकित 1 अगस्त 2022 के संदर्भ है। पीएमएल नियमों में किये गये संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, मास्टर दिशानिर्देश दिनांकित 1 अगस्त 2022 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

2. मास्टर दिशानिर्देशों के खंड 3.14 को प्रतिस्थापित किया गया है, अर्थात्: -

"3.14 "राजनीतिक रूप से प्रभावित व्यक्ति (पीईपी)" का अर्थ वही होगा जो धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 के नियम 2 के खंड (1) के उप खंड (घख) के अंतर्गत इसके लिए निर्धारित किया गया है।"

3. इसके अलावा, बीमाकर्ता उपर्युक्त राजपत्र अधिसूचना के द्वारा पीएमएल नियमों के संबंध में अधिसूचित किये गये संशोधन ध्यान में रखें तथा मास्टर दिशानिर्देशों के पैरा 1.2 के अनुसार इन्हें कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ।

4. उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रति तत्काल संदर्भ के लिए संलग्न है।

This has reference to amendments effected to Prevention of Money-Laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005 (PML Rules) vide gazette notification dated 7th March 2023 and Master Guidelines on AML/CFT, 2022 issued by the Authority vide ref: IRDAI/IID/GDL/MISC/160/8/2022 dated 1st August 2022. In view of the amendments to PML Rules, the Master Guidelines dated 1st August, 2022 is amended as under:

2. Clause 3.14 of the Master Guidelines is substituted, namely: -

"3.14 "Politically Exposed Persons (PEPs)" shall have the meaning assigned to it under sub clause (db) of clause (1) of Rule 2 of the Prevention of Money-Laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005."

3. Further, insurers shall take note of the amendments notified to PML Rules vide above mentioned gazette notification and take necessary steps to implement the same in terms of para 1.2 of the Master Guidelines.

4. The copy of the gazette notification is attached for ready reference.

-हस्ताक्षरित /- / Sd/-

(डीवीएस रमेश / DVS Ramesh)

मुख्य महाप्रबंधक / Chief General Manager

बीमा समावेश और विकास विभाग / Insurance Inclusion and Development Dept.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032023-244194
CG-DL-E-07032023-244194

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1030]
No. 1030]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 7, 2023/फाल्गुन 16, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 7, 2023/PHALGUNA 16, 1944

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2023

का.आ. 1074(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धननिवारण शोधन- (अभिलेखों का रखरखाव) संशोधन नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- धननिवारण शोधन- (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 में, उपनियम (1) में,—
 - खंड (गख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“(गखक) “समूह” का वही अर्थ होगा जो आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 286 की उपधारा (9) के खंड (ङ) में अभिहित किया गया है;

(ii) विद्यमान खंड (गखक) को खंड (गखख) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ;

(iii) खंड (गच) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(गच) “अलाभ संगठन” से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (15) में निर्दिष्ट धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिए गठित कोई अस्तित्व या संगठन अभिप्रेत है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन किसी न्यास या सोसाइटी के रूप में अथवा कोई समान राज्य विधायन या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी है ;”

(iv) खंड (घक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“(घख) “राजनैतिक रूप से प्रभावित व्यक्ति” (पीईपी) ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें किसी विदेश द्वारा विख्यात लोक कृत्यों के साथ न्यस्त किया गया है जिसके अंतर्गत राज्यों या सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनैतिक व्यक्तियों, वरिष्ठ सरकारी या न्यायिक या मिलिटरी अधिकारी, राज्य स्वामित्व कारपोरेशन के वरिष्ठ कार्यपालक और महत्वपूर्ण राजनैतिक दल के कर्मचारी भी हैं;”।

3. मूल नियमों के नियम 3 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“(3क) समूहों द्वारा नीतियों का कार्यान्वयन— समूहों से धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अध्याय 4 के उपबंधों के अधीन आक्षेपों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए समूह-वार नीतियों को क्रियान्वित करने की अपेक्षा की जाती है।”।

4. मूल नियमों के नियम 9 में,--

(i) उपनियम (3) में,--

(i) खंड (क) में, स्पष्टीकरण में, खंड (1) में, “पचीस” शब्द के स्थान पर, “दस” शब्द रखा जाएगा ;

(ii) खंड (ड) में, “पंद्रह” शब्द के स्थान पर, “दस” शब्द रखा जाएगा ।

(ii) उपनियम (6) में,--

(क) उपखंड (iv) में, “और” शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) उपखंड (v) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

“(vi) वरिष्ठ प्रबंध स्थिति को धारण करने वाले सुसंगत व्यक्तियों के नाम; और

(vii) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और उसके कारबार का मूल स्थान, यदि यह भिन्न है।”;

(iii) उपनियम (7) में,--

(क) खंड (iii) में, “और” शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (iv) में, “उसकी ओर से ;” शब्दों के स्थान पर, “उसकी ओर से; और” शब्द रखे जाएंगे;

(ग) खंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“(v) सभी भागीदारों का नाम और रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता और इसके कारबार का मूल स्थान, यदि यह भिन्न है।”;

(iv) उपनियम (8) में,-

(क) खंड (iii) में, “और” शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(v) फायदाग्राहियों, न्यासियों, शेल्टर, न्यास के लेखकों के नाम और न्यास के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता ; और

(vi) न्यासियों और दस्तावेजों की सूची, जैसे कि वे उपनियम (4) के अधीन व्यष्टियों के लिए अपेक्षित हैं, जिसके लिए न्यासी के रूप में उनकी भूमिका का निर्वहन करने के लिए है और न्यास की ओर से अंतरित करने के लिए प्राधिकृत है।”;

(v) उपनियम (9) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(9क) प्रत्येक बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्थान या मध्यवर्ती यथास्थिति, नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर अलाभ संगठन होते हुए ग्राहक के मामले में किसी ग्राहक के ब्यौरों को रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा, यदि ग्राहक और रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व के मध्य कारबार का रिश्ता समाप्त हो गया है या उनके खाते को बंद कर दिया गया हो, जो भी बाद में हो, के पांच वर्षों की अवधि के लिए ऐसे रजिस्ट्रीकरण अभिलेखों को पहले ही रजिस्ट्रीकृत और रखरखाव नहीं किया गया है।

(9ख) जहां किसी ग्राहक ने उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए किसी दस्तावेज को प्रस्तुत किया है, वह, यथास्थिति, ऐसे अद्यतन के तीन दिनों के भीतर उपनियम (4), उपनियम (5), उपनियम (6), उपनियम (7), उपनियम (8) अथवा उपनियम (9) के अधीन उल्लिखित अभिलेखों के अद्यतन के प्रयोजन के लिए ऐसे दस्तावेज का और अद्यतन करने के लिए रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व को प्रस्तुत किया जाएगा।”।

(vi) उपनियम (10) में, “न्यायिक व्यक्ति है” शब्दों के स्थान पर, “न्यायिक व्यक्ति या व्यष्टिक या न्यास की ओर से कार्य करने के तात्पर्य” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. पी-12011/12/2022-ईएस सेल-डीओआर]

शशांक मिश्र, निदेशक (मुख्यालय)

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 444(अ), तारीख 1 जुलाई, 2005 को प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 575(अ), तारीख 13 जुलाई, 2022 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2023

S.O. 1074(E).— In exercise of the powers conferred by section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, namely: —

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2, in sub-rule (1) -

- (i) after clause (cb), the following clause shall be inserted, namely:
“(cba) “group” shall have the same meaning assigned to it in clause (e) of sub-section (9) of section 286 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);
- (ii) existing clause (cba) shall be re-numbered as clause (cbb);
- (iii) for clause (cf), the following clause shall be substituted, namely:-
“(cf) “Non-profit organization” means any entity or organisation, constituted for religious or charitable purposes referred to in clause (15) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), that is registered as a trust or a society under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or any similar State legislation or a Company registered under the section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);”
- (iv) after clause (da) the following clause shall be inserted, namely: -
“(db) “Politically Exposed Persons” (PEPs) are individuals who have been entrusted with prominent public functions by a foreign country, including the heads of States or Governments, senior politicians, senior government or judicial or military officers, senior executives of state-owned corporations and important political party officials;”.

3. In the principal rules, after rule 3, the following rule shall be inserted, namely: -

“(3A) Implementation of policies by groups. – Groups are required to implement group-wide policies for the purpose of discharging obligations under the provisions of Chapter IV of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003).”.

4. In the principal rules, in rule 9, -

(i) in sub-rule (3) -

- (i) in clause (a), in the Explanation, in clause (1), for the words “twenty-five”, the word “ten” shall be substituted;
- (ii) in clause (e), for the word “fifteen”, the word “ten” shall be substituted;

(ii) in sub-rule (6),-

- (a) in sub-clause (iv), the word “and” shall be omitted;
- (b) after sub-clause (v), the following clauses shall be inserted, namely:-
“(vi) the names of the relevant persons holding senior management position; and
(vii) the registered office and the principal place of its business, if it is different.”;

(iii) in sub-rule (7),-

- (a) in clause (iii), the word “and” shall be omitted;
- (b) in clause (iv), for the words “on its behalf:” the words on its behalf; and” shall be substituted;
- (c) after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely:-
(d) the names of all the partners and address of the registered office, and the principal place of its business, if it is different.”;

(iv) in sub-rule (8),

- (a) In clause (iii), the word “and” shall be omitted;
- (b) after clause (iv), the following clauses shall be inserted, namely:-
“(v) the names of the beneficiaries, trustees, settlor and authors of the trust and the address of the registered office of the trust; and
(vi) list of trustees and documents as are required for individuals under sub-rule (4) for those discharging role as trustee and authorised to transact on behalf of the trust.”;

(v) after sub-rule (9), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

“(9A) Every Banking Company or Financial Institution or intermediary, as the case may be, shall register the details of a client, in case of client being a non-profit organisation, on the DARPAN Portal of NITI Aayog, if not already registered, and maintain such registration

records for a period of five years after the business relationship between a client and a reporting entity has ended or the account has been closed, whichever is later.

(9B) Where the client has submitted any documents for the purpose of sub-rule (1), it shall submit to the reporting entity any update of such documents, for the purpose of updating the records mentioned under sub-rules (4),(5),(6),(7),(8) or (9), as the case may be, within 30 days of such updation.”

(vi) in sub-rule (10), for the words “is a juridicial person”, the words “purports to act on behalf of juridicial person or individual or trust” shall be substituted.

[F. No. P-12011/12/2022-ES Cell-DOR]

SHASHANK MISRA, Director (Headquarter)

Note: The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 444 (E), dated the 1st July, 2005 and were last amended *vide* number G.S.R. 575(E), dated the 13th July, 2022.